

पत्रांक:-...../

दिनांक:-.....

कार्यालय आदेश

निदेशक पत्र की 46वीं बैठक दिनांक 28.08.14 में औद्योगिक क्षेत्रों के बड़े हुए भूमि दर के मद्देनजर Payment Plan को निम्नांकित तरीके से लागू करने का निर्णय लिया गया:-

1. सरकार के निदेश के आलोक में सूक्ष्म एवं लघु प्रक्षेत्र के उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर 10% राशि एवं शेष 90% को 20 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में बगैर किसी सूद के लिया जाय।
2. मध्यम एवं वृहत् प्रक्षेत्र के उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर 20% राशि एवं शेष 80% राशि को 5% सूद सहित, 20 बराबर अर्द्धवार्षिक किस्तों में के लिया जाय।

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सरकार के अवर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 5516.....

दिनांक 17/09/14

प्रतिलिपि :- मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, बियाडा, पटना। सचिव, बियाडा/ कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना/ भागलपुर/ दरभंगा/ मुजफ्फरपुर/ विधि पदाधिकारी, बियाडा/ वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा/ आई.टी. पदाधिकारी, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Majendw
16.9.2014

प्रबंध निदेशक।